न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07 / 2022

1 शांति देवी पुत्री हनुमान प्रसाद पत्नी मीर सिंह उम्र 75 साल जाति जाट निवासी गोठ हाल निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 प्रताप दतक पुत्र काूलू उम्र 55 साल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 महावीर पुत्र ध्यालाराम उम्र 75 साल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 बाली देवी पत्नी नानड़ाराम उम्र 75 साल
2 सतवीर पुत्र नानड़राम उम्र 45 साल
3 सुमन पुत्री नानड़राम उम्र 35 साल
4 सुनिता पुत्री नानडराम उम्र 32 साल
5 महेन्द्र पुत्र बदरू
6 मामकोर पुत्री बदरू
7 कमला पुत्री बदरू
8 संतरा पुत्री बदरू
9 राजेश पुत्र रणधीर
10 अजय पुत्र रणधीर
11 सुनिता पुत्री रणधीर
12 मनोज पुत्र रणधीर
समस्त जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

14 उप पंजीयक महोदय, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

15 सार्वजनिक निर्माण विभाग, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

16 ंकर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

17 संजय पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी
बाला देवी बनाम राज. सरकार अन्तर्गत धारा
88/136 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मु.नं. 44/2016

उपस्थिति :

1. श्री जितेन्द्र निर्मल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः–30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 44/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की नक्शा गत नक्शा सीट के अनुसार बनाये जाने व हाल खसरा नम्बर 39 जो गत खसरा नम्बर 16 से निर्मित हुए है कि खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किये जाकर वादीगण को खसरा नम्बर 39 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का नाम रिकार्ड से हजफ किये जाने व हाल नक्शा सीट को गत खसरा नम्बर 16 के अनुसार दुरूस्त किये जाने व बिना कटानी रास्ते पर सड़क व अन्य उपयोग में लेने से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 व 9 की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। अपीलांट शादीशुदा है अपने ससुराल रहती है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपीलांट का जवाब दावा फर्जी है। इस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। खसरा नम्बर 39 खातेदारी अपीलान्टस के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर 50 वर्षों से रास्ता चला आ रहा है तथा दिनांक 29.01.2016 को पटवारी हल्का व गिरदावर ढाढ़ोत कला मौके पर गये है तथा मौका रिपोर्ट बनायी है। उक्त मौका रिपोर्ट में नपति के दौरान गत खसरा नम्बर 16 जिसके हाल खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

नम्बर 41, 42 का पुरा रकबा मौके पर मौजुद है तथा खसरा नम्बर 39 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि गत खसरा नम्बर 12, 13 व हाल खसरा नम्बर 37, 38 की भूमि से बना हुआ है। यह नपति व मौका रिपोर्ट से साबित है। खसरा नम्बर 12, 13 के हाल खसरा नम्बर 37, 38, 39 बने है जिसका राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट के नाम से है तथा खसरा नम्बर 39 खसरा नम्बर 37, 38 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उतर से दक्षिण स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 37, 38 के खातेदारों द्वारा रास्ते हेतु भूमि छोड़ी गई है तथा उक्त रास्ते का पिछले 50 वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहे है। इस प्रकार खसरा नम्बर 39 खसरा नम्बर 12, 13 से बना है तथा गत खसरा नम्बर 16 हाल खसरा नम्बर 41, 42 से खसरा नम्बर 39 का कोई लेना देना नहीं है। भूलवश गत खसरा नम्बर 16 से खसरा नम्बर 39 हाल खसरा नम्बर दिखाया गया है जो मौक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जावें। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति रही है। अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। यह अंकन फर्जी होने का कथन तो अपीलांट द्वारा किया गया है किन्तु इसके विरूद्ध अपीलांट ने कोई विधिक कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट को विचाराधीन प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
... अपील अधिकारी
(... झुन्झुनं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति रही है। अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। यह अंकन फर्जी होने का कथन तो अपीलांट द्वारा किया गया है किन्तु इसके विरूद्ध अपीलांट ने कोई विधिक कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट को विचाराधीन प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर